

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 03-11/2012/सत्रह/मेडि-1 : इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.03.17 द्वारा श्री आशीष तिवारी, लोक सेवा प्रबंधक एवं श्री राकेश सिंह ठाकुर कार्यालय सहायक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की संविदा अवधि में दिनांक 16.01.2017 से 15.01.2018 तक की वृद्धि की गई थी।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त मासिक वेतन में 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए उनकी संविदा अवधि में दिनांक 16.01.2018 से 15.01.2019 तक की वृद्धि करता है। संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें पूर्व की भाँति यथावत लागू रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 8/06/2018

पृष्ठा. क्रमांक एफ 03-11/2012/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. भोपाल।
- 2- निज सचिव, प्रमुख सचिव, मान. मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।

- 1- महालेखाकार, मध्य प्रदेश ग्वालियर।
 - 2- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 - 3- उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 - 4- जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
 - 5- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल।
 - 6- संबंधित कर्मचारी श्री आशीष तिवारी, लोक सेवा प्रबंधक एवं श्री राकेश ठाकुर, कार्यालय सहायक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- स्टॉक फाईल।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग